न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./34/2022/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
अमराराम पुत्र देदाराम के का. मु.– 1. पुरखाराम पुत्र अमराराम उम्र 52 वर्ष 2. भोमाराम पुत्र अमराराम उम्र 47 वर्ष 3. गुणेशाराम पुत्र अमराराम फौत के का. मु.– 3/1.गीता पत्नी गुणेशाराम उम्र 27 वर्ष 3/2.पंकज पुत्र गुणेशाराम उम्र 06 वर्ष 3/3.प्रियंका पुत्री गुणेशाराम उम्र 08 वर्ष अपीलांट संख्या 3/2 व 3/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता गीता पत्नी गुणेशाराम, जाति जाट, निवासी शिव भाखरी नांद, तह. व जिला बाड़मेर। 4. चिमूदेवी पुत्री अमराराम पत्नी गंगाराम उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी नांद तह. व जिला बाड़मेर। 5. मीनादेवी पुत्री अमराराम पत्नी विशनाराम उम्र 43 वर्ष जाति जाट, निवासी पोलाणी सारण, मोतीनाडा, नागडदा तह. शिव, जिला बाड़मेर। 6. चम्पादेवी पुत्री अमराराम पत्नी गजाराम, उम्र 49 वर्ष, जाति जाट, निवासी हुडों की ढाणी, तह. बायतु, जिला बाड़मेर, हाल बालोतरा। 7. बबरी पुत्री अमराराम पत्नी शेराराम, उम्र 54 वर्ष, निवासी खेतरलाई, झाक तह. बायतु, जिला बाड़मेर, हाल बालोतरा।		1. वीरोंदेवी पत्नी तगाराम 2. पुरखाराम पुत्र तगाराम, जाति जाट, निवासी जाणियावास, तह. व जिला बाड़मेर। 3. भगदान पुत्र रामसिंहदान 4. लालदान पुत्र रामसिंहदान 5. रतनदान पुत्र रामसिंहदान 6. रायकंवर पत्नी रामसिंहदान, जाति चारण, निवासी जाणियावास, तह. व जिला बाड़मेर। 7. धुड़ीदेवी पत्नी खेराजराम, जाति जाट, निवासी शिवभाखरी, तह. व जिला बाड़मेर। 8. सवाईराम पुत्र चेतनराम, जाति जाट, निवासी शिवभाखरी, तह. व जिला बाड़मेर। 9. जेठा वल्द खुशाला, जाति सुथार, निवासी जाणियावास, तह. व जिला बाड़मेर। 10. श्रीमान तहसीलदार, बाड़मेर।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 428/2019 बउनवान वीरोदेवी वगैरह बनाम अमराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री मनोज पारीक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री उगराराम सहारण रेस्पो. संख्या 1 से 4 व 6 से 9 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—20.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 09 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद ग्राम जाणियावास, तह. बाड़मेर के खसरा संख्या 289/150 रकबा 60 बीघा, खसरा संख्या 290/150 रकबा 49.06 बीघा, खसरा नम्बर 291/150 रकबा 50.00 बीघा, खसरा सख्या 293/151 रकबा 73.06 बीघा, खसरा संख्या 292/151 रकबा 50 बीघा आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत मौजा देवासर के खसरा संख्या 275/143 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 09 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद ग्राम जाणियावास, तह. बाड़मेर के खसरा संख्या 289/150 रकबा 60 बीघा, खसरा संख्या 290/150 रकबा 49.06 बीघा, खसरा नम्बर 291/150 रकबा 50.00 बीघा, खसरा सख्या 293/151 रकबा 73.06 बीघा, खसरा संख्या 292/151 रकबा 50 बीघा आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत मौजा देवासर के खसरा संख्या 275/143 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु आवागमन के लिए रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेवन दर्ज कर विप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस पेश करने का निर्देश दिया था जिस पर प्रार्थीगण/रेस्पों. द्वारा दिनांक 24.08.2021 तक विप्रार्थीगण के तलबी हेतु कोई नोटिस पेश नहीं किये गये। दिनांक 24.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस पेश करने हेतु बार–बार प्रार्थीगण/रेस्पों. को हिदायत देतु हुए उक्त आदेशिका संधारित करते हुए आगामी पेशी दिनांक 24.09.2021 नियत की गई। इस बीच में अपीलांट/विप्रार्थीगण को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न ही कोई तामील कुनिंदा अपीलांट का नोटिस लेकर घर तक आया तथा न ही कोई नोटिस अपीलांट को जरिये डाक प्राप्त हुआ। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट/विप्रार्थीगण को तामील हेतु किसी भी तरह से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ उक्तानुसार अपीलांट को हस्तगत प्रकरण की तामील हेतु कोई सूचना नहीं दी गई। आगामी पेशी दिनांक 24.09.2021 को कोई आदेशिका संधारित नहीं की गई और पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प नांद में रखी गई, जिस बाबत् भी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई। विप्रार्थी अमराराम का दिनांक 14.10.2021 को देहान्त हो गया तथा अमराराम की फौतगी की सूचना प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को नहीं दी गंई और ना ही मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया। उक्त समस्त तथ्यों से परे जाकर दिनांक 10.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट नांद में मृतक पक्षकार के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट के खेत खसरा संख्या 275/143 के बीचों–बीच में से निकाला गया है जो विधि के तथ्यों एवं नैसर्गिक न्याय की घोर अवहेलना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण के सबंध में मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021 को तहसीलदार, बाड़मेर से तलब की गई, जिसे तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लम्बे समय तक पेश ही नहीं की गई तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के कैम्प कोर्ट नांद में ही बैठकर दिनांक 10.11.2021 को ही मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी ने तैयार की तथा हल्का पटवारी ने मौके पर जाये बिना ही अपने कैम्प में बैठकर रेस्पों. को गलत व निजी रूप से फायदा पहुचाने की नियत से तैयार की गई है। प्रश्नगत मौका रिपोर्ट पर अपीलांट्स ना तो हस्ताक्षर हैं और ना ही कोई अंगुष्ठ का निशान है केवल मात्र

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2–3 रेस्पों. के हस्ताक्षर युक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन ओदश पारित किया गया है जो विधि के सिद्धान्तों की घोर अवहेलना प्रदर्शित करता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में कैम्प कोर्ट नांद में उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन ओदश पारित किया गया है। उक्तानुसार रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलांटगण के पिता अमराराम का अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन प्रकरण के विचारण के बीच में दिनांक 14.10.2021 को देहान्त हो गया परन्तु अमराराम के वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया गया है जबकि अपीलांट अमराराम के वारिसान होने के कारण उन्हें/प्रार्थीगण को उक्त

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील पेश करने का पूर्ण अधिकार है। इस कारण प्रार्थीगण ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु अपील पेश कर रहा है जिस हेतु अपीलांट को अनुमति दिया जाना न्यायोचित है। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण का हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार है। अगर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. अपील अनुमति पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलांटगण के पिता अमराराम का अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन प्रकरण के विचारण के बीच में दिनांक 14.10.2021 को देहान्त हो गया परन्तु अमराराम के वारिसान को रेकर्ड पर नहीं लिया गया है जबकि अपीलांट अमराराम के वारिसान होने के कारण उन्हें/प्रार्थीगण को उक्त अपील पेश करने का पूर्ण अधिकार है। उक्तानुसार अपीलांट्स/प्रार्थीगण अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार ठहरता है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार योग्य है।

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुति की अनुमति दी जाती है।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स/विप्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रश्नगत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रश्नगत एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.08.2021 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि "प्रार्थीगण अप्रार्थीग्ण की तलबी हेतु नोटिस पेश करे, पेश करने पर तलबी जारी हो, तहसीदार बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट अप्राप्त। आगामी पेशी दिनांक 24.09.2021 नियत की गई।" जिसके बाद अप्रार्थीगण को तलबी जारी हेतु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कोई अंकन नहीं है। इसके बाद कोई ओदशिका संधारित नहीं की गई और हस्तगत प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत कैम्प कोर्ट नांद में नियत करते हुए अपीलांट/विप्रार्थीगण को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 428/2019 बउनवान वीरोदेवी वगैरह बनाम अमराराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.11.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव बाबत् कटाण/चलायमान रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करें तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

20/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर